कोरोना के सामुदायिक प्रसार को रोकने के लिए झुंझनू एवं भीलवाड़ा जिलों में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर अग्रिम आदेशों तक रोक

District : dipr
Department :
VIP Person : General
Press Release
State News
Attached Document :
LK-20-3-2020-3.docx (http://103.203.138.54/news/195330/document/LK-20-3-2020-3.docx)

DESCRIPTION

कोरोना के सामुदायिक प्रसार को रोकने के लिए
झुंझनू एवं भीलवाड़ा जिलों में सार्वजनिक
परिवहन सेवाओं पर अग्रिम आदेशों तक रोक

जयपुर, 20 जनवरी। परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव श्री रवि जैन ने बताया कि राज्य में झुंझनू एवं भीलवाड़ा राजस्व जिलों में समस्त सार्वजनिक यात्री वाहनों जैसे रोडवेज, लोक परिवहन सेवा, कांट्रेक्ट कैरिज एवं स्टेट कैरिज बसों जैसे टैक्सी/कैब, ऑटोरिक्शा आदि के दोनों जिलों से बाहर जाने, अन्दर आने तथा जिलों के भीतर संचालन पर तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई है।

श्री जैन ने बताया कि इन जिलों में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के चिन्हित होने के कारण कोरोना वायरस से सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए यह निर्णय किया गया है। इन आदेशों के क्रियान्वयन के लिए सम्बन्धित जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला परिवहन अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

SUPPORTING IMAGES

Copyright © 2016 Information and Public Relations Department. All Right Reserved.

Last Updated On: **18/4/2020**